न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2017

अपीलांट

1. पूनमाराम वल्द मोती जी के कायम मुकाम –
1/1 दरगाराम पुत्र पुनमा
1/2 वगताराम पुत्र पुनमा जातियान मेघवाल निवासीगण रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
2. सीता पुत्री पुनमा पत्नी वागाराम के कायम मुकाम–
2/1 प्रतापाराम पुत्र वागाराम
2/2 उतमाराम पुत्र वागाराम जातियान मेघवाल निवासीगण दॉतलावास तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।
3. शांतिबेन पुत्र नुनमा पत्नी केसाजी के कायम मुकाम –
3/1 जसाराम पत्नु केसाजी
3/2 दपाराम पुत्र केसाजी जातियान मेघवाल निवासीगण हउमतिया आर तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. रामा वल्द करताजी कौम रबारी निवासी देवपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
2. लीलाराम पुत्र पुराजी जाति मेघवाल निवासी रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सोहन सिंह देवडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
श्री अमृत लाल गर्ग विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 62/2012 बउनवान रामा बनाम पुनमा आदि में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1357 रकबा 2.42 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1360 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व पूनमा वल्द मोती, सीता की मृत्यु हो चुकी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। एवं प्रार्थना के विचाराधीन रहने के दौरान कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 02 के कायम मुकाम एवं अपीलांट संख्या 03 के कायम मुकाम को तामिली विधिवत रूप से नहीं करवाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खातेदारी खसरा नंबर 1357 के पास एक अन्य रास्ता पूर्व में मौजूद है। तथा रेस्पोडेन्ट कदीमी रूप से उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1357 रकबा 2.42 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1360 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अप्रार्थी संख्या यानि अपीलांट पूनमाराम के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। एवं अपीलांट संख्या 02 व 03 के नोटिस तामिल प्राप्त हुए, एवं उक्त पक्षकारान ने जवाब हेतु समय चाहा। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 पूनमाराम के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 25.11.2012 को स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये। उसके पश्चात पत्रावली अपीलांट संख्या 02 व 03 के जवाब हेतु नियत थी। इसी दौरान अपीलांट संख्या 02 व 03 के फौत होने की सूचना प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त पक्षकारान के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत आवेदन प्रस्तुत किये, जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। उसके पश्चात दिनांक 24.06.2016 की आदेशिका पर अपीलांट के कायम मुकाम दारगाराम के हस्ताक्षर है। उसके पश्चात अपीलांट संख्या 02 व 03 के कायम मुकाम के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के बावजूद वापस नहीं लौटने से उक्त पक्षकारान के विरूद्ध दिनांक 4.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। एवं तहसीलदार रानीवाडा से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 08.02.2017 की आदेशिका में मौका रिपोर्ट प्राप्त होना, किन्तु संपरिवर्तित भूखंड की मौका स्थिति स्पष्ट नहीं होना अंकन करते हुए स्पष्ट मौका रिपोर्ट पुनः तलब की गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/कोर्ट/62/12/1704 दिनांक 03.11.2016 द्वारा उपंखड अधिकारी रानीवाडा को मौका रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के संख्या 01 कायम मुकाम दरगाराम एवं वगताराम के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर जैर अपील आदेश पारित किया हैं जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1357 रकबा 2.42 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1360 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने सर्वप्रथम मुख्य बिन्दु यह लिया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूनमाराम जो कि मृत व्यक्ति था, कि विरूद्ध प्रार्थना प्रस्तुत किया। जो कि चलने योग्य नहीं था। एवं अपीलांट संख्या 02 व 03 के कायम मुकाम की तामिली भी विधिवत रूप नहीं करवाई गई। इस संबध में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अपीलांट पूनमाराम के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूनमाराम के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये। उसके पश्चात दिनांक 23.12.2014 को उक्त पक्षकारान की ओर से वकील श्री नारायणसिंह करणोत द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूनमाराम के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट संख्या 02 व 03 के कायम मुकाम की तलबी का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पक्षकारान को रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजे गये। किन्तु एडी वापस न प्राप्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

एवं रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजे जाने की अवधि 30 दिवस से अधिक हो जाने के कारण सी.पी.सी के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तामिल के संबध में विधिवत प्रक्रिया अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार रानीवाडा से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर प्रकरण में तहसीलदार नें अपने पत्र क्रमांक/कोर्ट/62/12/1704 दिनांक 03.11.2016 द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उनमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 62/2012 बउनवान रामा बनाम पुनमा आदि में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली केम्प-जालोर